न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक ..../नि. 12

R-1805-I/12

श्री .... द्वारा आज दि. 21/6/12 को प्रस्तुत

21-6-2012

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नबूबाई पति रतनलाल, उम्र 52 वर्ष, धंधा कृषि व गृहकार्य, निवासी ग्राम डांगराखेड़ा, तहसील कन्नौद, जिला देवास म.प्र. .... आवेदिका

विरूद्ध

1. प्रहलाद पिता रामनारायण
2. नन्दलाल पिता प्रहलाद
3. गोपाल पिता प्रहलाद
4. गोविन्द पिता प्रहलाद

समस्त निवासीगण – ग्राम खल, तह. सतवास, जिला देवास म.प्र. ....अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 491/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.06.12 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में यह निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

संक्षिप्त में प्रकरण तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय में बटवारे हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया व बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय अनुसार विवादित भूमि पर प्रार्थीया का 1/9 भाग पर कब्जा मान्य किया गया इस बाबत प्रार्थीया का वाद डिक्री किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विधिवत नामांकन किया जाकर बटवारा किया गया व राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किया गया व प्रार्थीया अपने हिस्से में आई भूमि पर क़ाबिज नाते आवेदन पत्र कब्जा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया। तहसीलदार महोदय ने प्रार्थीया का आवेदन निरस्त किया जिसके विरूद्ध प्रार्थीया ने अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 38/10–11 पर दर्ज होकर दिनांक 30.05.2012 को प्रार्थीया की अपील स्वीकार हुई जिसके विरूद्ध अनावेदकगण ने द्वितीय अपील आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत की व उसमें अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थगित रखे जाने का आदेश प्राप्त किया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी माननीय न्यायालय में निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

निगरानी के आधार

(1) यह कि, अधिनस्थ अपर आयुक्त महोदय का आदेश विधि विधान एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

21/6/12

निरंतर 2/

(184) (128)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/1805/एक/2012

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 19/04/2018 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	